राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 08/15 दायर दिनांकः–26.03.2015

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल आर.ए.एस.

1. गिरिराज पुत्र स्व0 श्री मदनलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम जाखोलाई तह0 रूपनगढ़

....प्रार्थी

बनाम

1. किशनाराम पुत्र स्व0 श्री सोराम जाति जाट नि0 ग्राम घासलों की ढ़ाणी सुरसुरा तह0 रूपनगढ़
2. कैलाश पुत्र स्व0 भागीरथ जाति जाट नि0 ग्राम खाखडदी तह0 नावां जिला नागौर
3. रामलाल पुत्र स्व0 श्री भागीरथ जाति जाट नि0 ग्राम खाखडदी तह0 नावां जिला नागौर
4. कमला पत्नि रामलाल जाति जाट नि0 ग्राम पानवा पोस्ट मरवा तह0 दूदू जिला जयपुर
5. श्रीमती मनभरी पत्नि स्व0 श्री भागीरथ जाति जाट नि0 ग्राम खाखडदी तह0 नावां जिला नागौर
6. राज्य सरकार ज़रिये तहसीलदार रूपनगढ़
7. उपपंजीयक रूपनगढ़

....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0का0अधि0

निर्णय **22.12.2022**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 88, 188 रा0का0अधि0 के अन्तर्गत वाद योग्य न्यायालय में पेश किया है। प्रार्थी के कब्जे काश्त की ग्राम जाखोलाई के वादग्रस्त ख0न0 131, 135, 136 कुल रकबा 25 बीघा 10 बिस्वां भूमि में से 1/10 हिस्सा निहित है। प्रार्थी ने उक्त वादग्रस्त ख0न0 की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 4 के पिता, अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के दादा व अप्रार्थी संख्या 5 के ससुर श्री सोराम वल्द कालू जाट से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.06.2001 को क्रय की थी और श्री सोराम से उनके निहित 1/10 हिस्सा भूमि का कब्जा प्राप्त किया था। अप्रार्थी संख्या 1 व 4 के पिता, अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के दादा व प्रतिवादी संख्या 5 के ससुर श्री सोराम वल्द कालू जाट का उक्त वादग्रस्त भूमि से राजस्व रिकार्ड के अनुसार 1/10 हिस्सा खातेदारी में दर्ज था और उक्त 1/10 हिस्सा भूमि प्रार्थी को विधि अनुसार जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.06.2001 के बैचान कर प्रार्थी को कब्जा संभलाया था। प्रार्थी का वादग्रस्त ख0न0 131, 135, 136 में से 1/10 भूमि पर दिनांक 28.06.2001 से निरन्तर आज तक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी का उक्त आराजी के 1/10 हिस्से भूमि पर विधिक स्वत्व व अधिकार उत्पन्न हो गया है। प्रार्थी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.06.2001 के आधार पर वादग्रस्त भूमि के 1/10 हिस्से का काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है। सोराम वल्द कालू जाट का स्वर्गवास हो चुका है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पिता, अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के दादा वं प्रतिवादी संख्या 5 के ससुर श्री सोराम ने अपने जीवनकाल में वादग्रस्त ख0न0 131, 135, 136 में से निहित अपने 1/10 हिस्से भूमि का बैचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 28.06.2001 को किया। प्रार्थी को हस्तान्तरित करने के बाद अप्रार्थी संख्या 1 से 4 का वादग्रस्त ख0न0 ख0न0 131, 135, 136 के 1/10 हिस्से की भूमि पर कोई विधिक हक व अधिकार नहीं है। अप्रार्थी सख्या 1 से 5 वादग्रस्त भूमि ख0न0 131, 135, 136 [illegible] हिस्से की भूमि का विरासत का नामान्तरकरण अपने पक्ष में स्वीकृत कराने के लिए [illegible] है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 6 के समक्ष दिनांक 16.12.2014 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के [illegible] पर वादग्रस्त खसरा नम्बरान के 1/10 हिस्से की भूमि का नाम दर्ज करवाने के [illegible] प्रस्तुत किया [illegible] कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसलिए अप्रार्थी संख्या 6 को [illegible] होने के कारण पक्षकार [illegible]जित किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.02 14:15:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

अप्रार्थी संख्या 1 से 5 को वादग्रस्त भूमि में कोई हक अधिकार नहीं है, फिर भी अप्रार्थी संख्या 1 से 5 प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि के उपयोग, उपभोग में निरन्तर बाधाकारित करते है। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त।. अप्रार्थी संख्या 1 से 5 अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। तहसीलदार रूपनगढ (अप्रार्थी संख्या 6) की ओर से प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम जाखोलाई की वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 124 में ख0न0 131, 135, 136 कुल किता 3 कुल रकबा 25–10 बीघा मोहन, गणेश, अमरचन्द पि0 रामकरण हि0 2/45, दाना पुत्र भंवरिया हि0 1/18, सूरजकरण पुत्र कालू हि0 1/10, किशना पुत्र सोराम हि0 1/30, कमला पुत्री सोराम हि0 1/30, मनभर देवी पत्नि भागीरथ, कैलाश, रामजीलाल पुत्र भागीरथ, इन्द्रादेवी, सरोज देवी पुत्रियां भागीरथ हि0 1/30 हि0ब0 पन्ना वल्द लादू, रामेश्वरी पुत्री लादू हि0ब0हि0 1/10, चौथूड़ी पत्नि हीरा हि0 1/10, श्रवण पुत्र भीवा हि0 5/64, भंवरी फुमा, कंवरी पुत्रियां भोमा हि03/64, गंगाराम पुत्र मगना हि0 1/8, मंगलाराम, जीवणराम , रामू पि0 हरलाल, सायर मोकल पुत्रिया हरलाल हि0ब0 1/4 कौम जाट सा0 देह खातेदार रहन गंगाराम का 1/8 हि0 बी0आर0के0जी0बी0 बैंक शाखा नोसल के नाम रिकार्ड में दर्ज है। प्रकरण वकील प्रार्थी की बंहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन एवं बहस पर मनन किया। तदनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम जाखोलाई के ख0न0 131, 135, 136 कुल किता 3 का कुल रकबा 25–10 बीघा भूमि में से प्रार्थी के हक हिस्से तक रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.02 14:15:53 IST
Reason: SelfAttested